संख्या-100/2023/478/22-2-2022-17(494)/2022

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 16 मार्च, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दिनेश कुमार पाण्डेय पुत्र श्री रामआसरे पाण्डेय, निवासी जनपद-सुलतानपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-7419/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-10-01-2022) दिनांक-09-03-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दिनेश कुमार पाण्डेय पुत्र श्री रामआसरे पाण्डेय, ग्राम-परसोइया, थाना-पीपरपुर, जनपद-सुलतानपुर का रहने वाला है। बन्दी दिनांक 25.12.1998 को सांय लगभग 07:00 बजे 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी अरूण कुमार की दुकान पहुँचा और जेवर खरीदने के बहाने जेवर निकलवाते हुए जेवर वाला झोला छीनने का प्रयास करने लगा वादी द्वारा विरोध करने पर रिवाल्वर से गोली मारकर वादी के भाई अभय कुमार की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-237/2000 में भा0द0वि0 की धारा-393, 302/34 के अन्तर्गत मा0 पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, प्रतापगढ़ के आदेश दिनांक 28.04.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.09.2021 तक 16 वर्ष 04 माह की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 02 माह की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, सुलतानपुर द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 25.12.1998 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर जेवर खरीदने के बहाने जेवर निकलवाने लगा तथा जेवर वाला झोला छीनने का विरोध करने पर रिवाल्वर से गोली मारकर अभय कुमार की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारां निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी दिनेश कुमार पाण्डेय पुत्र श्री राम आसरे पाण्डेय को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी दिनेश कुमार पाण्डेय (बन्दी संख्या-628/2007) पुत्र श्री रामआसरे पाण्डेय, निवासी जनपद-सुलतानपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-100/2023/478(1)/22-2-2022 तददिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सुलतानपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-100/2023/478/22-2-2022-17(494)/2022

दिनांक 16 मार्च, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दिनेश कुमार पाण्डेय पुत्र श्री रामआसरे पाण्डेय, ग्राम-परसोइया, थाना-पीपरपुर, जनपद-सुलतानपुर का रहने वाला है। बन्दी दिनांक 25.12.1998 को सांय लगभग 07:00 बजे 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी अरूण कुमार की दुकान पहुँचा और जेवर खरीदने के बहाने जेवर निकलवाते हुए जेवर वाला झोला छीनने का प्रयास करने लगा वादी द्वारा विरोध करने पर रिवाल्वर से गोली मारकर वादी के भाई अभय कुमार की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-237/2000 में भा0द0वि0 की धारा-393, 302/34 के अन्तर्गत मा0 पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, प्रतापगढ़ के आदेश दिनांक 28.04.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.09.2021 तक 16 वर्ष 04 माह की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 02 माह की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, सुलतानपुर द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 25.12.1998 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर जेवर खरीदने के बहाने जेवर निकलवाने लगा तथा जेवर वाला झोला छीनने का विरोध करने पर रिवाल्वर से गोली मारकर अभय कुमार की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी दिनेश कुमार पाण्डेय पुत्र श्री राम आसरे पाण्डेय को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।